रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012024-251207
CG-DL-E-06012024-251207

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 5, 2024/पौष 15, 1945
No. 27] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 5, 2024/PAUSHA 15, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2024

सा.का.नि. 32(अ).—मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार, मोटर यान (तृतीय पक्ष बीमा आधार प्रीमियम और देयता नियम, 2022 के प्रारूप नियम भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 441(अ), तारीख 14 जून, 2023 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, जिनमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिनको उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, से तीस दिन की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और, राजपत्र की प्रतिया जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, 15 जून, 2023 को जनता को उपलब्ध करा दी गयीं थीं;

और, केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों के सम्बन्ध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर सम्यक रूप में विचार कर लिया गया था;

अत:, अब केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 147 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के परामर्श से मोटर यान (तृतीय

पक्ष बीमा आधार प्रीमियम और देयता) नियम, 2022 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मोटर यान (तृतीय पक्ष बीमा आधार प्रीमियम और देयता) संशोधन नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. मोटर यान (तृतीय पक्ष बीमा आधार प्रीमियम और देयता) नियम, 2022 के नियम 2 में –

(i) सारणी ii में, श्रेणी सी1बी से संबंधित प्रविष्टियों में, स्तंभ (3) और (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: - "2,371" और "1,134"

(ii) सारणी vii में, श्रेणी सी1बी से संबंधित प्रविष्टियों में, स्तंभ (3) और (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: - "1,539" और "737"

[फा. सं. आरटी -11036/194/2021-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 394(अ), तारीख 25 मई, 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2024

G.S.R. 32(E).—WHEREAS draft rules further to amend the Motor Vehicles (Third Party Insurance Base Premium and Liability) Rules, 2022, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number G.S.R. 441(E) dated the 14th June, 2023 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the official Gazette in which the said notification was published, were made available to the public on the 15th June, 2023;

AND WHEREAS, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 147 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government, in consultation with the Insurance Regulatory and Development Authority, hereby makes the following rules further to amend the Motor Vehicles (Third Party Insurance Base Premium and Liability) Rules, 2022, namely:-

1. (1) These rules may be called the Motor Vehicles (Third Party Insurance Base Premium and Liability) Amendment Rules, 2024.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Motor Vehicles (Third Party Insurance Base Premium and Liability) Rules, 2022, in rule 2, –

   (i) in Table II, in the entries relating to category C1b, for the entries under Columns (3) and (4), the following entries shall, respectively, be substituted, namely:- “2,371” and “1,134”.

   (ii) in Table VII, in the entries relating to category C1b, for the entries under Columns (3) and (4), the following entries shall, respectively, be substituted, namely:- “1,539” and “737”.

[F. No. RT-11036/194/2021-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 394(E) dated the 25th May, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.01.06 15:55:55 +05'30'